

क्यों भेजते हैं मां-बाप बच्चों को काम के लिए बाहर

गांव में सभी सुविधाओं का अभाव है, लोग खाने को तरसते हैं तो उनके अपने परिजन ही दो पैसे के लालच में बच्चे को बाहर भेज देते हैं.



रथिम शर्मा, ख्यतंत्र पत्रकार

खूबसूरत मासूम सी, नाजुक और बेहद सर्वैदनशील बच्ची सुमित उरांव. चेहरे पर पारंपरिक आदिवासियों सी कोई पहचान नहीं. बड़ी और चंचल आंखें, उम्र 13-14 के बीच. सुमित का अपना घर है, मगर उसे याद नहीं कहां है. शायद दस वर्ष की थी वो जब उसे काम पर लगा दिया उसकी बड़ी मां ने. रांची, काकि के प्रेमनगर में किसी बड़े साहब के घर. दरअसल उसकी मां कम उम्र में ही अपने तीन बच्चों को छोड़कर कहीं चली गयी. परिजनों ने खुब पता लगाया. पर, पता नहीं चला कि वो कहां गयी. पिता पेशे से ड्राइवर थे जो हर वक्त घर से बाहर रहते थे.

अब तीन-तीन बच्चों को पालना उनके रिश्तेदारों के लिए कठिन हो गया. सो बड़ी को किसी दूसरे शहर में भेज दिया. ये दस वर्ष की बच्ची किसी के घर में बरतन मांजने के काम में लग गयी. और छोटी बहन शायद भाग्यशाली निकली कि उसे एक दंपति ने गोद ले लिया. अपनी यादाशत पर जोर डालती सुमित यह बात बताती है. छलकती आंखों के साथ.

कुछ महीने पहले ये सड़क पर भटकती मिली थी. किसी ने उसे शिशु आश्रम पहुंचा दिया और अब ये बच्ची किसान सेवा संघ के आश्रम स्थली में रहती है. नवोदय विधालय में छाती कक्ष में पढ़ रही सुमित गणित में बहुत तेज है और बड़ी होकर पुलिस में जाना चाहती है ताकि अपने जैसी लड़कियों की रक्षा कर सके.

देश का कानून कहता है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को घरेलू या किसी भी कार्य में लगाना कानून अपराध है. मगर आंकड़े बताते हैं कि पूरे

देश में चार लाख से अधिक बच्चे घरेलू कार्य में लगे हुए हैं. सरकार कानून बनाती है. लेकिन, उसका पालन नहीं होता है. बड़े लोग उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं.

14 वर्ष की सुमित पिछले चार वर्षों से किसी के घर में घरेलू कार्य कर रही थी. मतलब 10 वर्ष की उम्र से उसे काम करना पड़ रहा है. उसे अपना घर का पता ठीक से याद नहीं. यादाशत पर जोर डालकर कहती है कि पश्चिमी सिंहभूम के पोटका थाना में है उसका घर. घर में बड़ी मां भी है और कहीं पास ही के गांव में उसका नानी घर है. मगर अब वो बच्ची अनाथ सी है. सब हैं मगर कोई नहीं.

पराये लोग बच्चों को बहलाते हैं. ये बच्ची तो अपने ही परिजनों के हाथों ठगी गई. मां न सही बड़ी मां तो थी. लेकिन, घर से दूर बच्चों को सौंप आई अनजान हाथों में. अपने साथ हुए हास्से को बताते बिलख पड़ती है मासूम बच्ची. जब छोटी थी तब तो कोई बात नहीं. जरा सी बड़ी हुई नहीं कि घर में रहने वाले पिता समान अंकल ही उसके बदन को हाथ लगाने लगे. हैरान परेशान बच्ची ने आटी से शिकायत की. मगर उसकी बात का यकीन नहीं किया गया. रोज-रोज के शारीरिक श्रम और मानिसक चोट ने उसे घर से भाग जाने को प्रेरित किया.

और अंततः वही किया उसने. नादान बच्ची अब रहती है. नवोदय विधालय में छाती कक्ष में पढ़ रही सुमित गणित में बहुत तेज है और बड़ी होकर पुलिस में जाना चाहती है ताकि अपने जैसी लड़कियों की रक्षा कर सके.

देश का कानून कहता है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को घरेलू या किसी भी कार्य में लगाना कानून अपराध है. मगर आंकड़े बताते हैं कि पूरे

लिए बाहर ले जायी जाती हैं. कुछ ट्रैफिकिंग का शिकार हो महानगर चली जाती हैं. कुछ यही शहर में काम करती हैं. वो भी ऐसे-ऐसे अफसरों और बिजनेस मैन के घर, जो घर से बाहर निकलकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ बोलता और नारे लगाता है. पर, घर के अंदर वही आफिसर बच्चों से काम करवाता है.

आगे वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर हो या ट्रैफिकिंग. इसके पीछे का मूल कारण है गरीबी. ये बाहर जाने, घरों में काम करने वाले, होटलों में बरतन धोने वाले बच्चे इसलिए मजदूरी करते हैं क्योंकि उनके घर में खाने को अन्न नहीं. सरकार की सारी योजनाएं झारखंड में फेल हैं. सब तरफ लूट है, स्थानीय पंचायत से ब्लाक लेबल तक. चाहे मनरेगा हो या अन्य योजनाएं. कहीं कुछ भी सही नहीं.

गांव में सभी सुविधाओं का अभाव है. लोग खाने को तरसते हैं तो उनके अपने परिजन ही बाहर दो पैसे के लालच में भेज देते हैं. कहीं ये खाली भी काम करता है कि कम से कम उन्हें पेट भर खाना तो मिलेगा. फादर कहते हैं, ये सब कुछ नहीं सुधरने वाला जब तक सरकार ग्रामीणों की जीवन स्तर में सुधार नहीं लाती. उनके लिए दो वक्त रोटी का जुगाड़ नहीं करती. इसी मनरेगा की बात की जाय तो तामिलनाडु का उदाहरण ले लें. कितनी सफल है ये योजना. मगर झारखंड में सब कुछ फेल है. ऐसे में चाहे हम कितना भी विरोध करें, नियम बनाएं, प्रदेश की संथित नहीं बदलने वाली. बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले झारखंड से गरीबी को दूर करना होगा. तभी कुछ सुधार और बदलाव संभव है.

(यह रिपोर्ट इनवलूसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के अध्ययन का हिस्सा है)

पंचायत प्रतिनिधियों से कराये बीपीएल सर्वे

वर्ष 2002-2007 के बीपीएल सर्वे के आधार पर बीपीएल कार्ड बनाने से छंट जायेंगे आधे नाम वीरेंद्र कुमार सिंह

मुखिया-उपमुखिया समन्वय समिति, पोटका (पूर्वी सिंहभूम) के द्वारा पुराने बीपीएल सर्वे को खारिज कर पुनः बीपीएल सर्वे करा कर नया बीपीएल कार्ड बनाने की मांग को लेकर पोटका प्रखंड कार्यालय के समक्ष 16 जुलाई को विशाल प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में पांच हजार से अधिक लोग शामिल थे. पोटका के लिए यह ऐतिहासिक प्रदर्शन था. बीपीएल सर्वे में अनियमिता को लेकर लोगों की आंखों में जनक्रोश स्पष्ट दिखायी पड़ रहा था. प्रदर्शन के उपरांत समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा. मैके पर उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में नया बीपीएल कार्ड बनाने के लिए वर्ष 2002-2007 के सर्वे को आधार बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है. पुराने सर्वे के आधार पर यदि कार्ड बनाया गया तो आधे से अधिक बीपीएल धारक छंट जाएंगे. वे अपनी पूर्व से मिलने वाली सुविधाओं से बंचत हो जाएंगे. पुराना सर्वे में क्षेत्र के वैसे लोगों का चयन किया गया गया है, जो धनीमानी है. ऐसी स्थिति में जबतक नया सर्वे नहीं होता है, तबतक नया कार्ड बनाने पर रोक लगायी जाए. प्रदर्शन में अप्रत्याशित भीड़ इस बात को दरसा रही थी कि बीपीएल सर्वे में गड़बड़ी को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है.

मुखिया, उपमुखिया समन्वय समिति के अध्यक्ष होपना महाली (मुखिया कालिकापुर पंचायत), उपाध्यक्ष उपेंद्रनाथ सरदार (राजू), मुखिया जुड़ी पंचायत कहते हैं कि बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी का कापभाजन आये दिन जनप्रतिनिधियों को बनाना पड़ता है. करे कोइ, भरे कोइ यह अब बरदास्त नहीं होगा. उन्होंने मांग की कि बीपीएल सर्वे सरकारी कर्मचारी के द्वारा न करा कर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कराया जाए. ताकि वास्तविक लाभुकों को बीपीएल का लाभ मिल सके.

प्रदर्शन में मुख्य रूप से उत्तर पोटका के जिला पार्षद कर्णपाल मंडल, प्रखंड के उप प्रमुख मनोज राम, मुखिया व समिति के कार्यालयी अध्यक्ष खेलाराम मुर्मू, महासचिव व मुखिया बलराम सरदार, मुखिया मानो सरदार, कमलनी सरदार, योगेश्वर सिंह भूमिज, ललिता सरदार, सुबोध कुमार सरदार, सुसेन सरदार, प्रतिमा सरदार, अंबिका सरदार, रामेश्वर देंब्रम, मधु नायक के अलावा कई पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य एवं उपमुखिया उपस्थित थे.

हर सप्ताह दो विवंटल सब्जी बेचते हैं षष्ठी

हीरालाल मंडल

धनबाद जिले के निरसा दक्षिण क्षेत्र के आंकड़ारा गांव निवासी षष्ठी सिंह अपने बलबूते सब्जी उगा रहे हैं. सरकारी सहायता नहीं मिलने से उनमें थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है. श्री सिंह लगभग दो एकड़ भूमि पर नेतृआ, कहू, बरबड़ी, मूली आदि उगा रहे हैं. फिलहाल प्रति सप्ताह लगभग दो विवंटल नेतृआ व कहू 60-70 किलो बरबड़ी तथा काफी मात्रा में मूली उनके खेत से बाजार भेजा जा रहा है. उनके यहां सुबह से सब्जी व्यापारियों की लाइन लग जाती है. धनबाद, निरसा, बैलियापुर, कुमारधुबी बाजार के अलावा बंगाल क्षेत्र के व्यापारी भी सब्जी लेने श्री सिंह के यहां पहुंचते हैं. श्री सिंह ने कहा कि वे अपने स्तर से सब्जी उगाते हैं. सब्जी की सिंचाइ की व्यवस्था सबसे अधिक जरूरी है, परंतु सरकारी स्तर पर इसकी कोई सुविधा नहीं है. इतना ही नहीं बीज आदि भी नहीं मिलता है. साथ ही कृषि पदाधिकारी भी कोई सुधि नहीं लेते हैं. अपने स्तर से जितना बन पड़ता है, करते हैं वे मानते हैं कि सब्जी उगाकर लोग अपनी तकदीर बदल सकते हैं, जरूरत है सिंचाइ व्यवस्था व दृढ़ इच्छाशक्ति की. अभी उनके यहां तीन से चार लोग प्रतिदिन काम करते हैं.

अंतराराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दक्षिण एशिया में बहुत से युवा उन कुशलताओं के बिना स्कूल या विश्वविद्यालयों से निकल जाते हैं, जिसकी नियोक्ताओं को जरूरत होती है.

